

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फायर

सर्विस

मुख्यालय।

पत्रांक:आर-72/जे0डी0/लखनऊ-14(जीएन) 255

दिनांक:सितम्बर

2014

सया मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण,

ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स ओयसिस रियलटेक प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-1, टी0एस0-01बी सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन "ओयसिस ग्रान्ड स्टेण्ड" के निर्माण हेतु प्रवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

यूआईडी:

2014/3558/जीपीएन/गौतमबुद्धनगर/524/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 16-09-2014 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-प्लॉट एरिया-37500.00 वर्ग मी0 जिनका टावर वाईज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	ऊँचाई मी0 में
1	टावर-ए0 विंग-1	02बी+पी/एस+जी+21	1345.52	71.100
2	टावर-ए0 विंग-2	02बी+पी/एस+जी+21	1235.56	71.100
3	टावर-बी0 विंग-1	02बी+पी/एस+जी+21	902.73	71.100
4	टावर-बी0 विंग-2	02बी+पी/एस+जी+21	910.82	71.100
5	टावर-सी0 विंग-1	02बी+पी/एस+जी+16	761.78	56.100
6	टावर-सी0 विंग-2	02बी+पी/एस+जी+16	761.78	56.100
7	टावर-डी0	02बी+पी/एस+जी+21	692.77	71.100
8	टावर-ई0 विंग-1	02बी+पी/एस+जी+16	917.03	56.100
9	टावर-ई0 विंग-2	02बी+पी/एस+जी+16	761.78	56.100

बेसमेन्ट एरिया- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमें प्रथम बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-32,734.33 एवं द्वितीय बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया-16212.03 वर्ग मी0 है।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेंट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

डांचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 30 मानकों के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानकों के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।

2- सैटबैक:- प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-16.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-12.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानकों के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 09 मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित हैं, तथा प्रत्येक स्टेयर की चौड़ाई 1.5 मी0 तथा बेसमेन्ट में 02 रैम्प प्रस्तावित निकास मार्गों की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

कार

25/9

- 4-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है तथा रिफ्यूज एरिया का अलग से प्रस्तावित है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।
- घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वॉच्छनीय है।
 - 1-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन में 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 2-पम्पस:-भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद में पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जोकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।
 - 3-टैरिस टैंक:-प्रत्येक टावर की टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 4-होजरील:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 5-डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में डाउनकामर का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 6-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 7-यार्ड हाईड्रैण्टस:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रैण्टस एवं फायर सर्विस इन्पेट का मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 8-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 9-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में सम्पूर्ण तलों पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 10-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 12-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन में डक्टिड टाईप स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 13-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 14-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 15-हैलीपैड:- प्रश्नगत भवन में हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0-10 के अनुपालन में वॉच्छनीय है।
 - 16-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।
 - 17-वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के तत्परान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को विल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ओयसिस रियलटेक प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-1, टी0एस0-01बी सेक्टर-22डी यमुना एक्सप्रेस व औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन " ओयसिस ग्रान्ड स्टैण्ड " के निर्माण हेतु प्रावीजनित अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पूर्वतः किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(31/08/2021)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
नौएडा-2001

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनाार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनाार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स ओयसिस रियलटेक प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-1, टी0एस0-01बी सेक्टर-22, येडा को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।